श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) यद्यपि असंगठित श्रमिकों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कानून विद्यमान हैं, ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मजदूरी संदाय अधिनियम और अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम जैसे अधिनियमों के कतिपय प्रावधानों के उल्लंघन की घटनाओं की सूचना मिली है ।

(ग) औद्योगिक कानूनों के सम्बन्ध में श्री जी० रामानुजम की अध्यक्षता में सरकार द्वारा गठित द्वि-पक्षीय समिति ने व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 एवं औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में संशोधन करने के लिए कतिपय सिफारिशें की हैं । औद्योगिक सम्बन्ध कानून पर रामानुजम समिति की सिफारिशों तथा 1992 में आयोजित राज्यों के श्रम मंत्रियों के सम्मेलन तथा भारतीय श्रम सम्मेलन में हुये विचार-विमर्शों के आधार पर और औद्योगिक पुनर्संरचना के सम्बन्ध में गठित अन्तर्मंत्रालीय दल की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुये औद्योगिक विवाद अधिनियम एवं व्यवसाय संघ अधिनियम में संशोधन करने के लिए विशिष्ट प्रस्ताव तैयार किये गये हैं ।

(घ) से (च) बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत 25 अक्तूबर, 1975 से बंधुआ श्रम पद्धति समाप्त कर दी गयी है । राज्य सरकारें इस अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित कर रही हैं । न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन समुचित सरकारों ने प्रवर्तन तंत्र का गठन किया है, यह तंत्र आवधिक निरीक्षण करता है और जहां कहीं भी कानून के उल्लंघन की सूचना मिलती है यह नियोक्ताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करता है । राज्यवार कृषि कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी, प्रवर्तन तंत्र द्वारा किये गये निरीक्षणों और की गयी कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण अनुबंध के रूप में संलग्न है । [देखिए परिशिष्ट 168, अनुपत्र संख्या 39] केन्द्र सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में आवधिक संशोधन सुनिश्चित करने, परिवर्ती महंगाई भत्ता लागू करने और प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ किये जाने के लिए राज्य सरकारों पर जोर दिया है ।

Representation Against Termination of services of ITDC Employees

2463. SHRI GHUFRAN AZAM : Will the Minister of LABOUR be pleased to state :

(a) what are the details of representations received from All India ITDC workers federation relating to illegal termination of Hotel employee's services by Government undertakings;

(b) whether Chief Labour Commissioner of Central Government has taken up the issue with the concerned authorities about the termination of the services of 7 employees from Hotel Samrat by serving one day's notice;

(c) whether Government have not advised as yet to get the illegal orders of termination withdrawn; and

(d) if so, the facts and details in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A SANGMA): (a) to (d) Government have received a representation from All India ITDC workers Federation (Affiliated to INTUC), dated 30-6-93, regarding illegal termination of services of about 70 regular employees of Hotel Samrat, New Delhi, who were on the roll of the Hotel in its flight kitchen division. The Chief Labour Commissioner of the Central Government took up the issue with Delhi Administration, as the Government of the National Capital Territory of Delhi is the appropriate Government in this case and forwarded a copy of the representation to the Labour Commissioner, National Capital Territory of Delhi for necessary action. According. to information received from Delhi Administration, on termination of the contract between Indian Airlines and ITDC for flight catering services, instead of terminating the services of the contractual employees and retrenching the regular employees, the ITDC management considered their case on humanitarian grounds and with a view to avoiding any hardship to them and as a gesture of goodwill, the contractual employees have been offered alternate employment on regular basis in different Hotels of ITDC. The contractual employees whose employment came to an end on 30-6-93 were given a letter by the Management on 30-6-93 itself informing them the name of the hotel unit in which they were being offered fresh regular appointment and they were advised to report for duty to the new units within 30 days starting from 1-7-93.

Protection of Child Labour

2464. SHRI O. RAJAGOPAL:
SHRI SANGH PRIYA GAUTAM :
DR. NAUNIHAL SINGH:
Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have decided to amend the minimum wages Act to do away with the definition of 'Adult' and 'Child'